न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर राज.

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रा0पत्र संख्या - 33/2018
दायरा दिनांक - 12.11.2018
निर्णय दिनांक - 24/2/21

उनवान

1. लीलाराम पुत्र सुलतान जाति गुर्जर निवासी बुर्जा तन जानपुरा, बानसूर जिला अलवर
2. पालाराम पुत्र सुलतान जाति गुर्जर निवासी बुर्जा तन जानपुरा, बानसूर जिला अलवर

-- प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बानसूर, तहसील बानसूर जिला अलवर

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. प्रार्थी - श्री गौरीशंकर सैनी एड.
2. अप्रार्थी - पैरोकार सरकार

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 308 रकबा 0.01 हैक्ट., खसरा नम्बर 309 रकबा 3.07 हैक्ट., वाके मौजा नीमुचाना तहसील बानसूर प्रार्थीगण की खरीदसुदा आराजी है। प्रार्थीगण चार भाई है जिनका नाम क्रमशः श्रीराम, लीलाराम, पालाराम, रामकरण पिता सुलतान है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी प्रार्थीगण ने अपने अन्य दो सगे भाई श्रीराम व रामकरण के साथ मिलकर जरिये बयनामा संख्या 466 दिनांक 17.08.1982 से खरीद की थी। तदसमय बयनामा में उक्त जायदाद को खरीद करने की इबारत लिखवाते समय सहवन से प्रार्थीगण का गांव में बोलता हुआ नाम हनुमान व माला अंकित कर दिया था जबकि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम जो अन्य दस्तावेजो में लीलाराम व पालाराम है वही लिखाया जाना चाहिये था। उक्त बयनामें में लीलाराम व पालाराम पिता सुलतान का गांव में बोलता हुआ नाम हनुमान व माला पिता सुलतान लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा हनुमान व माला बोलता नाम ही दर्ज कर दिया। जिसके लिए बयनामे में लिखी त्रुटिपुर्ण इबारत जिम्मेदार है। प्रार्थीगण की ग्राम बुर्जा की खातेदारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

भूमि संवत 2071-2074 की हाल जमाबन्दी में प्रार्थीगणो का वास्तविक नाम लीलाराम व पालाराम दर्ज है तथा प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजात पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, निर्वाचन नामावली आदि में प्रार्थीगण का वास्तविक नाम ही दर्ज है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम हनुमान, माला के स्थान पर लीलाराम व पालाराम दर्ज करवाने के अधिकार पारित किये जावें।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा कराये गये बयनामा संख्या 466 दिनांक 17.08.1982 के अनुसार क्रेता श्रीराम, हनुमान, माला, रामकरण पिता सुलतान दर्ज है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने भाईयों के साथ मिलकर विवादित आराजी जरिये बयनामा संख्या 466 दिनांक 17.08.1982 से खरीद की है। उक्त बयनामें में प्रार्थीगण व उनके भाईयो का नाम क्रमशः श्रीराम, हनुमान, माला, रामकरण पिता सुलतान ही दर्ज है। उक्त बयनामें के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही अंकन किया गया है परन्तु प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजात यथा फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड, निर्वाचन नामावली 2014, आधारकार्ड एवं अन्य खातेदारी भूमि खाता संख्या 102, 103 वाके मौजा बुर्जा तहसील बानसूर में प्रार्थीगण का सही नाम लीलाराम, पालाराम ही दर्ज है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 308 रकबा 0.01 हैक्ट., खसरा नम्बर 309 रकबा 3.07 हैक्ट., वाके मौजा नीमुचाना तहसील बानसूर में दर्ज प्रार्थीगण के नाम हनुमान, माला पिता सुलतान के स्थान पर हनुमान उर्फ लीलाराम व माला उर्फ पालाराम पिता सुल्तान दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:12 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 24/2/21 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट

Scanned with CamScanner